न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 92/2017
अन्तर्गत धारा :- 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. नीरज टेपण पिता जगदीश चन्द्र खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी किशोर नगर राजसमंद जिला राजसमंद (राज0)
2. निर्मल कुमार टेपण पिता जगदीश चन्द्र खटीक जरिये वाद मित्र माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमति लता जिंदी निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी किशोर नगर राजसमंद जिला राजसमंद (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पिता बंशीलाल खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा एवं पदेन उपपंजियक सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री गणपत राणवा
अधिवक्ता विपक्षीगण: श्री पुष्पेन्द्रसिंह राणावत

निर्णय

दिनांक 24/7/20

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजियात खाता संख्या 445 में वर्णित आराजी संख्या 601 रकबा 0.12 हे0 व 602 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.26 हे0 जिसकी जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है।

इसी प्रकार खाता संख्या 1320 में वर्णित आराजी संख्या 545 रकबा 0.20 हे0, 546 रकबा 0.16 हे0, 547 रकबा 0.13 हे0, 548 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.71 हे0 स्थित है जिसकी जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

धीसा

उदयराम | नाथु | बंशीलाल | गुलाब

(उदयराम) रामप्रसाद | रामचन्द | नानी(विधवा)

(बंशीलाल) जगदीश | सुरेश | पुष्पा | धापु

(जगदीश) नीरज | निर्मल

(नाथु) कैलाश | बरदीचन्द | सतीशचन्द | कंकुदेवी

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित खाता संख्या 445 व 1320 में वर्णित आराजी हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभक्त पैत्रिक सम्पत्ति है जो धीसा के वक्त से ही चली आ रही है धीसा के निधन के बाद बंशीलाल के नाम दर्ज हुई बंशीलाल के निधन के बाद जगदीश, सुरेश,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

पुष्पा व धापु के नाम दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से का काश्त लाभ ले रहे है व दीगर/अन्य खातेदार भी अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात विपक्षीगण संख्या 1 जगदीश चन्द के नाम खाता संख्या 445 में 1/4 हिस्से से दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का उक्त आराजियात में विपक्षीगण जगदीश के समान ही हक हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थी संख्या एक नीरज का 1/12 हिस्सा व प्रार्थी संख्या दो निर्मल का 1/12 हिस्सा यानि कि प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 1320 में विपक्षी संख्या एक के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज है जबकि विपक्षी जगदीश के समान ही हक हिस्सा निहित है जिससे प्रार्थी संख्या एक नीरज का 1/48 हिस्सा व प्रार्थी संख्या दो निर्मल का 1/48 हिस्सा यानि कि प्रार्थीगण का 1/24 हिस्सा निहित है लेकिन विपक्षी संख्या एक के नाम उक्त आराजियात दर्ज होने से विपक्षी संख्या एक की नियत में बदनियती आ गई है जिससे विपक्षी संख्या एक उक्त आराजियात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है व प्रार्थीगण के हक सदैव समाप्त करने पर आमादा है व विपक्षी संख्या एक प्रार्थीगण की किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं करता है न भरण पोषण देता है एव हमेशा प्रार्थीगण को धमकिया दे रहा हैं कि उक्त आराजियात को मैं विक्रय कर दुंगा व खुर्द–बुर्द कर दुंगा जबकि पैत्रिक अविभक्त सम्पत्ति को विपक्षी संख्या एक को विक्रय करने का अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थीगण को अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया हैं।

यह कि न्यायालय आपमें विचाराधीन वाद के निस्तारण में समय लग सकता है तथा विपक्षी संख्या वादग्रस्त आराजियात को खुर्द – बुर्द करने पर आमादा है व हस्तानान्तरित करने का उपक्रम कर रहा है जिससे विपक्षी संख्या एक उक्त आराजियात को हस्तानान्तरित कर देता है तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है व पक्षकारों के मध्य गुणात्मक कार्यवाहियां बढ़ेगी व प्रार्थीगण सदैव के लिये पैत्रिक सम्पति से वंचित हो जायेगे तथा प्रार्थीण का प्रथम दृष्टियां प्रकरण है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है जिसे न्यायहित में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के हिस्से को विपक्षी संख्या एक विक्रय नहीं करें , किसी प्रकार का भार नहीं बढ़ाये, किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करे, न से कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे व उक्त आराजी संख्या 602 का रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अवाप्त किया जा रहा है उसका प्रार्थीगण के हिस्से का मुआवजा भी विपक्षी संख्या एक प्राप्त नहीं करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी एक के अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार उपस्थित। विपक्षीगण को जवाब के कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने से जवाबदेही बंद की जाती हैं। उभयपक्ष अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में सुना गया।

2

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–92/2017
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

बाद बहस व प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के मैंने गहन मनन किया। यह निर्विवाद है कि प्रार्थना पत्र में ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजियात खाता संख्या 445 में वर्णित आराजी संख्या 601 रकबा 0.12 हे0 व 602 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.26 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 1320 में वर्णित आराजी संख्या 545 रकबा 0.20 हे0, 546 रकबा 0.16 हे0, 547 रकबा 0.13 हे0, 548 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.71 हे0 स्थित है जिसमें विपक्षी संख्या एक का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिलेख है। विपक्षी ने उक्त प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।अतएवं–

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम पोटलां की कृषि आराजियात खाता संख्या 445 में वर्णित आराजी संख्या 601 रकबा 0.12 हे0 व 602 रकबा 0.14 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.26 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 1320 में वर्णित आराजी संख्या 545 रकबा 0.20 हे0, 546 रकबा 0.16 हे0, 547 रकबा 0.13 हे0, 548 रकबा 0.22 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.71 हे0 भूमि को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरीत नहीं करे तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करें । व आराजी संख्या 602 का रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अवाप्त किया जाने से मुआवजा पर भी रोक लगाई जाती है।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

3

Scanned with CamScanner